

16/11/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. में

बंद

पत्रावली दिनांक 6/11/24 को

उपखंड अधिकारी
अरांड

6/12/26

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. में
वकील बंद हुए दिनांक 10/11/24 को पेश है

उपखंड अधिकारी
अरांड (अजमेरा)

10/11/2026

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. में।
पत्रावली वाले अग्रिम कार्यवली हेतु दिनांक
15/11/2026 को पेश है। पुनर्न्यः पत्रावली
पेश हुई। वकील पक्षकारण द्वारा धारा 151 CPC
के धारा 212(2) RTA पर बहस सुनी
गई। बहस पर अनन रिचा गया। प्रार्थना
पत्र अनर्गत धारा 151 CPC तथा धारा 212(2)
की स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश
पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किये
गये। पत्रावली फॉर्मल शुमार और नम्बर से
कम है।

उपखंड अधिकारी
अरांड (अजमेरा)